Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Election Petition No. 6/2024
URN: EP / 11U / 2024

Anil Chopra S/o Babu Lal Chopra

----Petitioner

Versus

The Returning/assistant Returning Officer

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री संजय शर्मा
For Respondent(s)	:	श्री आर.बी.माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री हेमन्त सिंह श्री निखिल सिमलोट श्री फलक माथुर श्री मनीष भूडीवाल श्री अनुराग शर्मा श्री अक्षत शर्मा श्री जितेन्द्र कुमार योगी

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

<u>Order</u>

Reserved on	::	**03/07/2026**
Pronounced on	::	**28/07/2026**

अयाचीगण संख्या –1. The Returning/Assistant Returning Officer, Jaipur Rural Constituency, Jaipur District, 2. The District Magistrate cum Returning Officer/Assistant Returning Officer, Jaipur Rural Constituency, Jaipur Distrcit, 3. The Chief Electoral Officer, Jaipur, Rajasthan, 4. Election Commission of India through its Secretary Rajasthan Zone की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या–02/2026 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया है उक्त अयाची संख्या 1 से 4 प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार नहीं हैं। धारा 82 व 86(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अयाची संख्या 1 से 4 को वादशीर्षक से विलोपित किया जावे।

(Uploaded on 28/07/2026 at 04:41:12 PM)
(Downloaded on 30/07/2026 at 06:45:33 PM)

याची की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए विरोध किया गया । उनका निवेदन है कि अयाची संख्या–1 से 4 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं । जिस तरह का विवाद पक्षकारान के मध्य रहा है, उसका स्पष्टीकरण अयाची संख्या 1 से 4 को ही देना है । अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अयाची संख्या –1 से 4 का निवेदन है कि धारा 82 व 86(4) के अनुसार अयाची संख्या 1 से 4 आवश्यक एवं उचित पक्षकार नहीं हैं अतः उनका नाम वाद शीर्षक से विलोपित किया जावे।

उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैंः–

1. Jyoti Basu and Ors. Vs. Debi Ghosal and Ors. (1982) 1 SCC 691
2. B. Sundara Rami Reddy Vs. Election Commission of India and Ors. 1991 Supp (2) SCC 624
3. Michael B. Fernandes Vs. C.K. Jaffer Shariff and Ors. (2002) 3 SCC 521
4. Shrilal Janva Vs. Udai Ram Dhakad AIR 1981 Raj 251

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि उक्त लोक सभा चुनाव में अयाची संख्या 5 को 1615 वोट से विजयी घोषित किया गया है । इस प्रकार याची व अयाची संख्या–5 के मध्य विजय का अंतर मात्र 1615 वोट रहा है । याची की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी । उस आपत्ति का निस्तारण करते समय यह निर्णय दिया गया कि मतगणना के दौरान 1225 डाक मत पत्रों को निरस्त किया गया है, जबकि जीत का अंतर 1615 से कम है, अतः परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तत्पश्चात याची द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के अनुसार निरस्त किए गए मतों की संख्या 2738 बतायी गई है । ये दोनों सूचनायें अयाची संख्या 1 से 4 द्वारा ही जारी की गई हैं, जिनमें भिन्नता पायी गई है । इसी आधार व अन्य आधार पर यह चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई है । उनका यह भी तर्क रहा है कि उनके द्वारा विजयी उम्मीद्वार के विरूद्ध कोई भी

(Uploaded on 28/07/2026 at 04:41:12 PM)
(Downloaded on 30/07/2026 at 06:45:33 PM)

आरोप नहीं लगाए गए हैं। अतः अयाची संख्या 1 से 4 उचित एवं आवश्यक पक्षकार हैं । उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है :–

1. Udit Narain Singh Malpaharia Vs. Additional Member, Board of Revenue, Bihar 676 SCR (1963) Supp.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

हमने दोनों पक्षों के तर्कों व वितर्कों पर मनन किया व याची द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका में अंकित आधारों व प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का अवलोकन किया। यह स्वीकृत स्थिति है कि याची व अयाची संख्या 5 के चुनाव में विजय का अंतर 1615 वोटों का रहा है । अयाची संख्या –5 को 1615 वोटों से विजयी घोषित किया गया है। यह भी प्रकट है कि दिनांक 04.06.2024 को आपत्तियों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें भी यह तथ्य अंकित किया गया है कि कुल निरस्त किए गए गए डाक मत पत्रों की संख्या 1225 रही है । इसी प्रकार सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना उपलब्ध करायी गई है उसमें निरस्त डाक मतपत्रों की संख्या 2738 होना दर्शित किया गया है । यह दोनों सूचनाऐं एक ही दिन की रही है तथा दोनों सूचनाऐं अयाची संख्या 1 से 4 की ओर से जारी की गई है एवं पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद भी इसी बिन्दु पर रहा है । ऐसी स्थिति में उक्त विवाद को दृष्टिगत रखते हुए अयाची संख्या 1 से 4 इस याचिका में आवश्यक पक्षकार हैं । इनको पक्षकार के रूप में रखने से इस याचिका के निर्णय में सहायता मिलेगी । अतः अयाची संख्या –1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः अयाची संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026, अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. निरस्त किया जाता है ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/reserve

(Uploaded on 28/07/2026 at 04:41:12 PM)
(Downloaded on 30/07/2026 at 06:45:33 PM)